न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता जिला बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी जनक सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–126/19

1 – नरेन्द्र उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री जगदीश जाति धाकड़ निवासी गोविन्दपुरा तहसील अन्ता जिला बारां (राज0)
2 – सत्यनारायण उम्र 41 वर्ष पुत्र श्री जगदीश जाति धाकड़ निवासी गोविन्दपुरा तहसील अन्ता जिला बारां (राज0)
3 – लीलाधर उम्र 35 वर्ष पुत्र श्री जगदीश जाति धाकड़ निवासी गोविन्दपुरा तहसील अन्ता जिला बारां (राज0)
4 – जितेन्द्र उम्र 31 वर्ष पुत्र श्री जगदीश जाति धाकड़ निवासी गोविन्दपुरा तहसील अन्ता जिला बारां (राज0) (वादीगण)

बनाम

1 – जगदीश पुत्र भैरूलाल दत्तक पुत्र श्री जगन्नाथ जाति धाकड़ निवासी गोविन्दपुरा तहसील अन्ता जिला बारां (राज0)
2 – राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अन्ता जिला बारां (राज0) (प्रतिवादीगण)

उपस्थित वकील :– श्री हरिश शर्मा (वादी)
श्री अक्षयराजसिंह (प्रतिवादी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 व 188 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 01/07/2019

हस्तगतगत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादपत्र में दर्ज वादीगण ग्राम गोविन्दपुरा तहसील अन्ता के स्थायी निवासी है। प्रतिवादी क्रम 1 व वादीगण पिता पुत्र है। वादीगण की पैतृक आराजी कृषि भूमि वाके आराजी खाता संख्या 73 खसरा नं. 39 रकबा 1.61 है0, खसरा नं. 42 रकबा 0.11 है0, खसरा नं. 493 रकबा 0.25 है0 कुल किता 3 रकबा 1.97 है0 वाके ग्राम गोविन्दपुरा तहसील अन्ता में दर्ज रिकार्ड है जो प्रतिवादी क्रम 1 जगदीश दत्तक पुत्र जगन्नाथ के खाते दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार आराजी खाता 75 खसरा नं. 56 रकबा 1.06 है0, खसरा नं. 84 रकबा 0.20 है0, खसरा नं. 482 रकबा 0.16 है0, खसरा नं. 483 रकबा 0.01 है0, खसरा नं. 484 रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 489 रकबा 0.11 है0, खसरा नं. 829 रकबा 4.30 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 5.86 है0 ग्राम गोविन्दपुरा तहसील अन्ता में दर्ज रिकार्ड है जो वादीगण के पिता प्रतिवादी क्रम 1 जगदीश पुत्र भैरूलाल के खाते दर्ज है। जिसे वाद में आगे विवादित आराजी के नाम से संबोन्धित किया गया है। उपरोक्त वर्णित विवादित आराजीयात वादीगण की पुश्तैनी व पैतृक आराजी है जिसमें वादीगण का जन्म से हित निहित है। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा वादीगण को उनके हिस्से की आराजी काश्त करने हेतु संभला रखी है जिसे वादीगण गत कई वर्षो से काश्त करते आ रहे है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात में प्रत्येक वादीगण का 1/5 हिस्से पर पैतृक हक अधिकार है जिसे वादीगण गत कई वर्षो से काश्त करते आ रहे है। वादीगण का नाम उक्त विवादित आराजी ग्राम गोविन्दपुरा में खातेदार के रूप में दर्ज नही होने के कारण वह सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नही कर पा रहे है तथा सम्पूर्ण आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के नाम दर्ज होने से वह आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है इसलिए वादीगण को ग्राम गोविन्दपुरा तहसील अन्ता की उक्त आराजीयात पर प्रतिवादी क्रम 1 के साथ हिस्सा बराबर बराबर प्रत्येक को हिस्सा 1/5 का खातेदार कृषक घोषित किया जाना न्याय हित में आवश्यक है जिसके वादीगण कानूनन

अधिकारी व नालिसी है। वर्तमान में उक्त विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज होने से वादीगण द्वारा उनसे कई बार मौखिक निवेदन किया जा चुका है कि उनके हिस्से की आराजी को उनको नाम से दर्ज करवाओं किन्तु उनके द्वारा कोई ध्यान नही दिया जा रहा है। अन्तिम बार वादीगण द्वारा दिनांक 15.01.2019 को प्रतिवादी क्रम 1 से उनके हिस्से की आराजी को उनके नाम दर्ज करवानें की कहने पर प्रतिवादी क्रम 1 लडाई झगडे पर आमादा हुये तथा उन्होके द्वारा आराजी उनके नाम दर्ज होने तथा उसे रहन बेचान करने की धमकी दी। इसलिए वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी व नालिसी है। प्रतिवादी क्रम 2 को भू धारक होने से वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। राज्य सरकार के विधिक प्रतिनिधि श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, बारां को कानूनी नोटिस धारा 80 सीपीसी का जर्ये अधिवक्ता प्रेषित करवाया जा चुका है। किन्तु वाद आवश्यक प्रकृति का होने से वाद प्रार्थना–पत्र धारा 80(2) सीपीसी के साथ पेश किया जा रहा है। वाद कारण दिनांक 15.01.2019 को वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 से उनके हिस्से की आराजी उनके नाम करवानें की कहने पर तथा उनके द्वारा मना करने व आराजी को रहन बेचान करने की धमकी देने पर ग्राम गोविन्दपुरा तहसील अन्ता में उत्पन्न हुआ है। वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम गोविन्दपुरा तहसील अन्ता में स्थित होने से वाद का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद का मूल्यांकन लगान का 50 गुणा कायम किया जाकर वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेंश किया जा रहा है।

अतः वाद पेंश कर निवेदन है कि बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री पारित की जावे कि पुश्तैनी व पैतृक आराजी खाता संख्या 73 खसरा नं. 39 रकबा 1.61 है0, खसरा नं. 42 रकबा 0.11 है0, खसरा नं. 493 रकबा 0.25 है0 कुल किता 3 रकबा 1.97 है0 वाके ग्राम गोविन्दपुरा तहसील अन्ता में दर्ज रिकार्ड है जो प्रतिवादी क्रम 1 जगदीश दत्तक पुत्र जगन्नाथ के खाते दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार आराजी खाता 75 खसरा नं. 56 रकबा 1.06 है0, खसरा नं. 84 रकबा 0.20 है0, खसरा नं. 482 रकबा 0.16 है0, खसरा नं. 483 रकबा 0.01 है0, खसरा नं. 484 रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 489 रकबा 0.11 है0, खसरा नं. 829 रकबा 4.30 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 5.86 है0 ग्राम गोविन्दपुरा तहसील अन्ता में हिस्सा 1/5 का प्रत्येक वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु प्रतिवादी क्रम 2 को आदेश दिया जावें। प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलान्दाजी न करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय को उचित लगे वादीगण को प्रदान की जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी करवाई गई। प्रतिवादीगण की ओर से श्री अक्षयराज सिंह द्वारा वकालत नामा के साथ पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से आपसी सहमति से राजीनामा पैश किया। राजीनामा अनुसार वादीगण की पैतृक आराजी कृषि भूमि खाता संख्या 73 खसरा नं. 39 रकबा 1.61 है0, खसरा नं. 42 रकबा 0.11 है0, खसरा नं. 493 रकबा 0.25 है0 कुल किता 3 रकबा 1.97 है0 भूमि वाके ग्राम गोविन्दपुरा में स्थित है। जो उक्त भूमि जगदीश दत्तक पुत्र जगन्नाथ के खाते दर्ज है। खाता 75 खसरा नं. 56 रकबा 1.06 है0, खसरा नं. 84 रकबा 0.20 है0, खसरा नं. 482 रकबा 0.16 है0, खसरा नं. 483 रकबा 0.01 है0, खसरा नं. 484 रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 489 रकबा 0.11 है0, खसरा नं. 829 रकबा 4.30 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 5.86 है0 ग्राम गोविन्दपुरा तहसील अन्ता में स्थित है। उक्त भूमि पुश्तैनी है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीण का जन्मतः हक अधिकार नियत है। वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 के सगे पुत्र है। उक्त विवादित भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी

क्रम 1 बराबर–बराबर अपने हिस्से 1/5–1/5–1/5–1/5–1/5 भूमि पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज होने से वादीगण को भूमि का विकास कार्य करवाने हेतु परेशानी होती है इसलिए प्रतिवादी क्रम 1 के नाम दर्ज भूमि में से 1/5–1/5 व 1/5–1/5 हिस्से भूमि वादीगण के नाम खाते दर्ज करने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है और न ही प्रतिवादीगण भविष्य में उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई उज्र व ऐतराज करेगे। जिसके लिए प्रतिवादीगण पूर्णरूप से सहमत है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने उक्त राजीनाम लोक अदालत की भावना से आपसी सहमति से विवादित भूमि का राजीनामा कर लिया है इसमें किसी भी पक्ष को कोई उज्र व ऐतराज नही है इस राजीनामा से सभी पक्ष सहमत है। भविष्य में इस राजीनामा से किसी भी पक्ष को कोई उज्र व ऐतराज नही होगा।

अतः राजीनामा पेंश कर निवेदन है कि वादी का नाम खाता संख्या 73 खसरा नं. 39 रकबा 1.61 है0, खसरा नं. 42 रकबा 0.11 है0, खसरा नं. 493 रकबा 0.25 है0 कुल किता 3 रकबा 1.97 है0 वाके ग्राम गोविन्दपुरा तथा खाता संख्या 75 खसरा नं. 56 रकबा 1.06 है0, खसरा नं. 84 रकबा 0.20 है0, खसरा नं. 482 रकबा 0.16 है0, खसरा नं. 483 रकबा 0.01 है0, खसरा नं. 484 रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 489 रकबा 0.11 है0, खसरा नं. 829 रकबा 4.30 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 5.86 है0 ग्राम गोविन्दपुरा तहसील अन्ता में वादीगण को 1/5,–1/5,–1/5–1/5 भूमि के बतौर खातेदार कृषक घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु मुताबिक राजीनामा के अनुसार निर्णय व डिक्री पारित फरमायी जावें।

राजीनामा प्रस्तुत होने पर पक्षकारान को पढ़कर सुनाया गया। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पढकर, सुनकर स्वयं के द्वारा लिखवाया जाना स्वीकार किया। पक्षकारान द्वारा राजीनामा स्वीकार किये जाने पर बाद तस्दीक स्वीकार कर शामिल फाईल किया गया। वादी की पहचान श्री हरिश शर्मा अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण की पहचान श्री अक्षयराज सिंह अधिवक्ता द्वारा की गई। हमने आद्योपान्त पत्रावली का अवलोकन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का गहनता से अध्ययन किया। राजीनामा अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाता है ग्राम गोविन्दपुरा की आराजी खाता संख्या 73 खसरा नं. 39 रकबा 1.61 है0, खसरा नं. 42 रकबा 0.11 है0, खसरा नं. 493 रकबा 0.25 है0 कुल किता 3 रकबा 1.97 है0 भूमि तथा खाता संख्या 75 खसरा नं. 56 रकबा 1.06 है0, खसरा नं. 84 रकबा 0.20 है0, खसरा नं. 482 रकबा 0.16 है0, खसरा नं. 483 रकबा 0.01 है0, खसरा नं. 484 रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 489 रकबा 0.11 है0, खसरा नं. 829 रकबा 4.30 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 5.86 है0 भूमि में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य बराबर–बराबर 1/5,–1/5,–1/5–1/5 हिस्से का सहखातेदार कृषक घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा राजीनामा अनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार अन्ता को निर्देशित किया जाता है कि आवश्यक हो तो नियमानुसार स्टाम्प डयूटी जमा करवाई जाकर निर्णय अनुसार पालना कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय हमारे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनाक 01/07/2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जनक सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
अन्ता जिला बारां (राज0)

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(औ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अन्ता जिला बारा बइजलास

पीठासीन अधिकारी श्री जनक सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–126 / 19

1 – नरेन्द्र उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री जगदीश जाति धाकड़ निवासी गोविन्दपुरा तहसील अन्ता जिला बारां (राज0)
2 – सत्यनारायण उम्र 41 वर्ष पुत्र श्री जगदीश जाति धाकड़ निवासी गोविन्दपुरा तहसील अन्ता जिला बारां (राज0)
3 – लीलाधर उम्र 35 वर्ष पुत्र श्री जगदीश जाति धाकड़ निवासी गोविन्दपुरा तहसील अन्ता जिला बारां (राज0)
4 – जितेन्द्र उम्र 31 वर्ष पुत्र श्री जगदीश जाति धाकड़ निवासी गोविन्दपुरा तहसील अन्ता जिला बारां (राज0)

(वादीगण)

बनाम

1 –जगदीश पुत्र भैरूलाल दत्तक पुत्र श्री जगन्नाथ जाति धाकड़ निवासी गोविन्दपुरा तहसील अन्ता जिला बारां (राज0)
2 –राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अन्ता जिला बारां (राज0)

(प्रतिवादीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 व 188 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 01/07/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसा कतई रूबरू **श्री हरिश शर्मा** एडवाकेट हाजरी मिनजानिब मुददई रूबरू **श्री अक्षयराज सिंह** पेश हो कर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम गोविन्दपुरा की आराजी खाता संख्या 73 खसरा नं. 39 रकबा 1.61 है0, खसरा नं. 42 रकबा 0.11 है0, खसरा नं. 493 रकबा 0.25 है0 कुल किता 3 रकबा 1.97 है0 भूमि तथा खाता संख्या 75 खसरा नं. 56 रकबा 1.06 है0, खसरा नं. 84 रकबा 0.20 है0, खसरा नं. 482 रकबा 0.16 है0, खसरा नं. 483 रकबा 0.01 है0, खसरा नं. 484 रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 489 रकबा 0.11 है0, खसरा नं. 829 रकबा 4.30 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 5.86 है0 भूमि में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य बराबर–बराबर 1/5,–1/5,–1/5–1/5 हिस्से का सहखातेदार कृषक घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा राजीनामा अनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार अन्ता को निर्देशित किया जाता है कि आवश्यक हो तो नियमानुसार स्टाम्प डयूटी जमा करवाई जाकर निर्णय अनुसार पालना कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे। **रहन यदि कोई हो तो रहनकर्ता को मिलने वाले खसरे/रकबे/हिस्से पर रहन दर्ज किया जावे।**

उपखण्ड अधिकारी
अन्ता